



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244951  
CG-DL-E-05042023-244951

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1567]  
No. 1567]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1646(अ).— यतः, मै. इम्बसी पुणे टेकजोन प्रा. लि. (पूर्व में मै. डायनेस्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मै. पुणे इम्बसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. इम्बसी ऑफिस पार्क्स प्रा. लि.), ने महाराष्ट्र राज्य में प्लॉट सं. 3, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क, हिन्जेवाडी, फेज-II, गांव मरूंजी, तालुका मुल्शी, जिला-पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 1962(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 2007 और का.आ. 1751(अ) दिनांक 14 मई, 2019 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 17.12 हेक्टेयर और 10.178 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इम्बसी पुणे टेकजोन प्रा. लि. ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 5.1333 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उनके पत्र सं. सेज-2021/सीआर-177/आईएनडी-2 10 फरवरी, 2023 के पत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

और यतः विकास आयुक्त, सीपज़ विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 5.1333 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। प्रस्तावित गैर-अनधिसूचित क्षेत्र का 100% उपयोग आईटी/आईटीईएस और वाणिज्यिक गतिविधि के लिए किया जाएगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 5.1333 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 22.1647 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं, अर्थातः-

#### अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

| क्रम. सं.                                      | गाँव का नाम | सर्वे नम्बर | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|--|-------------|-------------|--------------------------|
| 1.   | मरूंजी      | 53/2 भाग    | 0.1452                   |
| 2.   |             | 54/2 भाग    | 0.0437                   |
| 3.   |             | 54/5 भाग    | 0.0785                   |
| 4.   |             | 64/6 भाग    | 0.0427                   |
| 5.   |             | 54/7        | 0.0305                   |
| 6.   |             | 55/12 भाग   | 0.3200                   |
| 7.   |             | 55/17 भाग   | 0.1402                   |
| 8.   |             | 55/18       | 0.4600                   |
| 9.   |             | 55/19       | 0.0622                   |
| 10.  |             | 55/20       | 0.1092                   |
| 11.  |             | 55/21       | 0.1086                   |
| 12.  |             | 55/22       | 0.2334                   |
| 13.  |             | 55/23 भाग   | 0.0936                   |
| 14.  |             | 55/24 भाग   | 0.0544                   |
| 15.  |             | 55/25 भाग   | 0.8500                   |
| 16.  |             | 55/26       | 1.0700                   |
| 17.  |             | 55/27       | 0.0117                   |
| 18.  |             | 55/28 ए     | 0.2800                   |
| 19.  |             | 55/28 बी    | 0.4500                   |
| 20.  |             | 55/29       | 0.0629                   |
| 21.  |             | 55/30       | 0.0065                   |
| 22.  |             | 55/31       | 0.4800                   |
| <b>कुल</b>                                     |             |             | <b>5.1333</b>            |
| उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल |             |             | 22.1647                  |

[फा. सं. एफ.2/635/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)**

(SEZ SECTION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2023

**S.O. 1646(E).**—Whereas, M/s. Embassy Pune TechZone Pvt. Ltd. (formerly (M/s. Dynasty Developers Private Limited, M/s. Pune-Embassy Project Private Limited and M/s. Embassy Office Parks Pvt. Ltd.), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Plot No. 3, Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Phase II, Village Marunji, Taluka Mulshi, District Pune in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 17.12 hectares and 10.178 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 1962(E) dated 19<sup>th</sup> November, 2007 and S.O. 1751(E) dated 14<sup>th</sup> May, 2019;

AND, WHEREAS, M/s. Embassy Pune TechZone Pvt. Ltd. has now proposed for de-notification of 5.1333 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its approval to the proposal vide letter No.SEZ-2021/CR-177/Ind-2 dated 10<sup>th</sup> February, 2023;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 5.1333 hectares of the Special Economic Zone. Further, the proposed de-notifying area shall be utilized 100% for IT/ITES and Commercial activity;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 5.1333 hectares, thereby making resultant area as 22.1647 hectares. The survey numbers and area for de-notification are given below in the table, namely:-

**TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA**

| S. No.                                       | Name of Village | Survey No. | Area in hectares |
|--|-----------------|------------|------------------|
| 1.   | Marunji         | 53/2 PT    | 0.1452           |
| 2.   |                 | 54/2 PT    | 0.0437           |
| 3.   |                 | 54/5 PT    | 0.0785           |
| 4.   |                 | 64/6 PT    | 0.0427           |
| 5.   |                 | 54/7       | 0.0305           |
| 6.   |                 | 55/12 PT   | 0.3200           |
| 7.   |                 | 55/17 PT   | 0.1402           |
| 8.   |                 | 55/18      | 0.4600           |
| 9.   |                 | 55/19      | 0.0622           |
| 10.  |                 | 55/20      | 0.1092           |
| 11.  |                 | 55/21      | 0.1086           |
| 12.  |                 | 55/22      | 0.2334           |
| 13.  |                 | 55/23 PT   | 0.0936           |
| 14.  |                 | 55/24 PT   | 0.0544           |
| 15.  |                 | 55/25 PT   | 0.8500           |
| 16.  |                 | 55/26      | 1.0700           |
| 17.  |                 | 55/27      | 0.0117           |
| 18.  |                 | 55/28 A    | 0.2800           |
| 19.  |                 | 55/28 B    | 0.4500           |
| 20.  |                 | 55/29      | 0.0629           |
| 21.  |                 | 55/30      | 0.0065           |
| 22.  |                 | 55/31      | 0.4800           |
| <b>Total</b>                                 |                 |            | <b>5.1333</b>    |
| Grand total area of SEZ after above deletion |                 |            | 22.1647          |

[F. No. F.2/635/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.